कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.09.2022

थाना सिगरा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर एचडीएफसी बैंक से करोड़ों रुपयों का गबन करने वाले गिरोह का एक नफ़र वांछित अभियुक्त विशाल चौरसिया जनपद भदोही से गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे थाना सिगरा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-539/18 धारा 419/420/467/468/471/406/409/120बी/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल चौरसिया पुत्र विरेन्द्र चौरसिया नि0 बालाजी भोजनालय कस्बा औराई थाना औराई जिला सन्त रविदास नगर भदोही को अभियुक्त के घर से दिनांक-05.09.2022 को समय 15.10 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-10.08.2018 को वादी मुकदमा श्री अजीत गुलाटी एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि एचडीएफसी बैंक शाखा चितईपुर जिला वाराणसी मे आंडिट के दौरान कई संदिग्ध एकाउन्ट की जांच के दौरान पाया गया कि (1)-ऋषभ मिश्रा पुत्र ब्रिजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, निवासी बभनौली दमरूआ जौनपुर (2)-पंकज शुक्ला पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी बभनौली दमरूआ जौनपुर ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत गिरोह बनाकर एचडीएफसी बैंक से रू0 1,62,71,072.00 (रुपया एक करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार बहत्तर मात्र) की धोखाधड़ी करते हुए गबन किया गया। जिसके लिए इनके द्वारा अपने गिरोह मे शिवम कुमार सिंह पुत्र कैलाश नारायण सिंह निवासी ग्राम-मद्दुपुर जगदीशपुर कांटा जिला चन्दौली व अन्य व्यक्तियों को अपने साथ मिलाकर 16 व्यक्तियों जिनके नाम क्रमशः (1)-ऋषभ मिश्रा (2)-पंकज शुक्ला (3)-रवि शुक्ला (4)-शिव कुमार यादव (5)-अजय कुमार सिंह (6)-अरविन्द कुमार पान्डेय (7)-अभिषेक उपाध्याय (8)-अखिलेश यादव (9)-चन्द्र शेखर (10)-राजेश राम लखन (11)-रमेश चन्द्र शुक्ला (12)-विशाल कुमार चौरसिया (13)-संजीत तिवारी (14)-रजित राम यादव (15)-रजत कुमार मौर्या (16)-अनिल कुमार मौर्या का एचडीएफसी बैंक मे प्रपत्रों के आधार पर खाता खुलवाया गया तथा उसके बाद व्यक्तिगत ऋण रू0 10,07,800/- (दस लाख सात हजार आठ सौ रूपया) प्रति व्यक्ति हेतु आवेदन कराया गया। जिन व्यक्तियों ने ऋण आवेदन किया था उनके भौतिक निरीक्षण एचडीएफसी बैंक की अधिकृत एजेन्सी के कर्मचारियों ने ऋण लेने वाले व्यक्तियों का भौतिक निरीक्षण किया। अधिकृत एजेन्सी के कर्मचारी अभिजीत रांय और विक्की के रिपोर्ट के आधार पर बैंक द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण दस लाख सात हजार आठ सौ रूपया प्रति व्यक्ति स्वीकृत कर उनके खातों मे भेज दिया गया। एचडीएफसी बैक द्वारा उपरोक्त पैसा ग्राहको के खाते मे भेजे जाने के पश्चात उनके प्रत्येक खाते से पंकज शुक्ला एवं ऋषभ मिश्रा के खातों मे ट्रान्सफर हो गया। तत्पश्चात पंकज शुक्ला एवं ऋषभ मिश्रा ने उपरोक्त लोगो के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर कूटरचित प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए एचडीएफसी बैंक के रू0 1,62,71,072.00 (एक करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार बहत्तर मात्र) को हड़प लिया गया, जिसके आधार पर थाना सिगरा मे मु0अ0सं0 539/18 धारा 419/420/467/468/471/406/409/120बी/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल चौरसिया पुत्र विरेन्द्र चौरसिया नि0 बालाजी भोजनालय कस्बा औराई थाना औराई जिला सन्त रविदास नगर भदोही उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.नि0 उदय प्रताप यादव अपराध शाखा कमिश्नरेट वाराणसी।

2.उ0नि0 शान्तनु सिंह अपराध शाखा कमिश्नरेट वाराणसी।

3.उ0नि0 ललित कुमार पाण्डेय थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

4.का0 रामनगीना मौर्या थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

6 चालक का0 शशिप्रकाश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरूणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी